पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 11062/अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक 03/07/2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक बुधवार, दिनांक 26.06.2013 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल – सदस्य
3. प्रो. व्यासनारायण दुबे – सदस्य
4. प्रो. ए.के. शर्मा – सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा – सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा – सदस्य
7. डॉ. दीपक कारकून – सदस्य
8. डॉ. अरविंद गिरोलकर – सदस्य
9. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला – सदस्य
10. डॉ. एम.आई. मेमन – सदस्य
11. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम – सदस्य
12. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
13. डॉ. जी.बी. गुप्ता – सदस्य
14. श्री ललित सुरजन – सदस्य
15. डॉ. रवि भोई – सदस्य
16. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.04.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.04.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.04.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.04.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. डॉ. एन.के. बाघमार, आचार्य, भूगोल अध्ययनशाला को यू.जी.सी. नेट परीक्षा 30 जून, 2013 के लिए रूपये 11 लाख अग्रिम भुगतान का अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : डॉ. एन.के. बाघमार, आचार्य, भूगोल अध्ययनशाला को यू.जी.सी. नेट परीक्षा 30 जून, 2013 के लिए रूपये 11 लाख अग्रिम भुगतान का सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। कार्यपरिषद् की बैठक में नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह के अन्तराल में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अग्रिम एवं समायोजन की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

04. HP blade server क्रय के उपरांत ICIS computers (India).pvt. ltd Raipur के द्वारा प्रस्तुत देयक की राशि रू. 16,61,415.00 के भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **HP blade server क्रय के उपरांत ICIS computers (India).pvt. ltd Raipur के द्वारा प्रस्तुत देयक की राशि रू. 16,61,415.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

05. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 एवं 30.05.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 एवं 30.05.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन किया गया। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 के बिंदु क्रमांक 3 प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय परिनियम 27, 28 एवं विनियम 129 के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण कर विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत की जाए।**

06. डॉ. शम्स परवेज, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला का आवेदन पत्र तकनीकी शिक्षा विभाग शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करने की अनुमति पर विचार करना।

निर्णय : **प्रतिनियुक्ति के लिए असहमति व्यक्त किया गया एवं धारणाधिकार के संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान किया गया।**

07. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, विश्वविद्यालय ग्रंथपाल, का आवेदन पत्र राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में महानिदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन अग्रेषित करने हेतु अनुमति पर विचार करना।

निर्णय : **प्रतिनियुक्ति के लिए असहमति व्यक्त किया गया एवं धारणाधिकार के संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान किया गया।**

08. राज्य शासन के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की दर 01.01.2013 से 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को मई माह के वेतन में जोड़कर की गई भुगतान की सूचना ग्रहण करना एवं अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : **राज्य शासन के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की दर 01.01.2013 से 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को मई माह के वेतन में जोड़कर की गई भुगतान की सूचना ग्रहण कर, अनुमोदन किया गया।**

09. निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

1. सेंट्रल कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–तुलसी, मंदिर हसौद, रायपुर
2. सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट (एजुकेशन), देवादा, राजनांदगांव
3. भिलाई कालेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला–दुर्ग
4. वंदेमातरम महाविद्यालय, गणेश चौक, धमतरी

निर्णय : निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

1. सेंट्रल कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–तुलसी, मंदिर हसौद, रायपुर – डॉ. मधु अग्रवाल

2. सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट (एजुकेशन), देवादा, राजनांदगांव – डॉ. (श्रीमती) अनघा अगासे

3. वंदेमातरम महाविद्यालय, गणेश चौक, धमतरी – डॉ. कुबेर सिंह गुरूपंच

भिलाई कालेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला–दुर्ग में चयनीत विभागाध्यक्ष, शिक्षा का बायोडाटा संलग्न नहीं है। इसलिए संबंधित महाविद्यालय से बायोडाटा प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

पूरक विषयसूची

01. दिनांक 01.04.2012 अथवा उसके बाद नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदायी प्रणाली UTI Infrastructure Technology And Services Gr. Floor, Taank Business Tower, Fafadih Chowk Jail Road, Raipur से कराने के संबंध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : दिनांक 01.11.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता नहीं है। अतः दिनांक 01.11.2004 अथवा उसके बाद नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित NPS योजना के लिए अधिकृत एजेंसी UTI Infrastructure Technology And Services Gr. Floor, Taank Business Tower, Fafadih Chowk Jail Road, Raipur के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

02. सेमेस्टर परीक्षा मई–जून 2013 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि ₹ 5,80,000/– भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा मई–जून 2013 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि ₹ 5,80,000/– भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

03. मुख्य परीक्षा 2013 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम की तृतीय किश्त रू. 10,50,000/— समस्त परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम भुगतान किया गया, अग्रिम भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **मुख्य परीक्षा 2013 हेतु समस्त परीक्षा केन्द्र को प्रदान किए गए अग्रिम की तृतीय किश्त रू. 10,50,000/— की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

04. प्रशासनिक भवन के लिए 125 KVA साइलेंट जनरेटर क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : **प्रशासनिक भवन के लिए 125 KVA साइलेंट जनरेटर क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के क्रेडा विभाग से संपर्क कर सौर ऊर्जा हेतु प्रस्ताव बनाकर किसी एक भवन में प्रायोगिक तौर पर सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।**

05. एवरेस्ट फाउंडेशन मनाली में "लीडरशीप ट्रेनिंग एंड एडवेंचर कोर्स" के लिए भाग लेने वाले विद्यार्थियों पर प्रस्तावित व्यय राशि ₹ 11,12,400/— की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **एवरेस्ट फाउंडेशन मनाली में "लीडरशीप ट्रेनिंग एंड एडवेंचर कोर्स" के लिए भाग लेने वाले विद्यार्थियों पर प्रस्तावित व्यय के लिए प्रदत्त अग्रिम राशि ₹ 11,12,400/— की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

06. रेगुलेशन क्रमांक 91 की कंडिका 9 में संशोधन करने बाबत्।

निर्णय : **रेगुलेशन क्रमांक 91 की कंडिका 9 में संशोधन करते हुए स्टेनोग्राफर के पदों पर 50% पदोन्नति से एवं 50% सीधी भर्ती से भरे जाने संबंधी प्रस्ताव मान्य किया गया।**

07. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय के साथ किया गया —**

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2013 के बिंदु क्रमांक 5 पर हुए निर्णय के संदर्भ में डी.सी.आई. के नियम के अनुसार वस्तुस्थिति की जानकारी के साथ प्रकरण राजभवन से मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया जावे।**

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् प्रस्तुत गोपनीय देयक का अनुमोदन किया गया।

02. वार्षिक परीक्षा के लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित नोडल केन्द्रों के समन्वयकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित अग्रिम प्रदान करने की स्विकृति दी गई–

	नोडल केन्द्र	राशि
01.	डॉ. एन.के. बाघमार, समन्वयक, केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर	5,000,00/–
02.	प्राचार्य, शास.दू.ब. महिला महा.,रायपुर	5,000,00/–
03.	प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान महा. रायपुर	5,000,00/–
04.	प्राचार्य, शास. दिग्विजय महा. राजनांदगांव	5,000,00/–
05.	प्राचार्य, शास. बी.सी.एस. स्नात. महा. धमतरी	5,000,00/–
06.	प्राचार्य, शास. काकतीया स्नात. महा. जगदलपुर	5,000,00/–
07.	प्राचार्य, शास. विलासा कन्या महा. बिलासपुर	5,000,00/–
	कुल–	35,000,00/–

03. मास्टर आफ सोशल वर्क (M.S.W.) को अध्यादेश 170 में शामिल करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव को समन्वय समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2013 में अनुमोदन किया गया। अतः निर्णय लिया गया कि सत्र 2012–13 में M.A. (Social Work) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मास्टर ऑफ सोशल वर्क (M.S.W.) की उपाधि प्रदान किया जावे। जिन महाविद्यालयों को एम.एस.डब्ल्यू. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता मिली है उन्हें भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जावे। चूँकि M.A. (Social Work) एवं M.S.W. के पाठ्यक्रम समान है, अतः एम.ए. (सोशल वर्क) में उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए, समतुल्यता के संबंध में, अधिसूचना जारी किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ. क्रमांक : 1106 3/अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक : 3 /07/2013

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)